

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-8Aवि01-117/2017 538

/पटना दिनांक-30/5/17

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मियों एवं चालकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में देय निम्न ग्रीष्मकालीन वर्दी की आपूर्ति हेतु उद्योग/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर पर खादी ग्रामोद्योग संघ/खादी कमीशन/एन0टी0सी0 या उद्योग विभाग द्वारा सूचीबद्ध अन्य संस्थान/फर्म से अल्पकालीन मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।


क्रमांक	विवरण	मात्रा
1.	पुरुष चतुर्थवर्गीय कर्मी के लिए टेशीकोट पैट शर्ट (सिलाई सहित)	64 सेट
2.	महिला चतुर्थवर्गीय कर्मी हेतु स्काई ब्लू साड़ी	10 अदद
3.	चालकों के लिए आसमानी रंग का सफारी सूट (सिलाई सहित)	18 सेट
4.	महिला चतुर्थवर्गीय कर्मी हेतु ब्लाउज एवं पेटीकोट (सिलाई सहित)	15 सेट
5.	उपरोक्त सभी कर्मियों के लिए (महिला कर्मी सहित) चप्पल (बाटा/श्रीलेदर)	46 जोड़ा

1. कोटेशन प्राप्ति का स्थान – संयुक्त सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय) पटना
2. कोटेशन प्राप्ति की तिथि/समय – दिनांक-07.06.2017 (03:00 बजे अपराहन में)
3. कोटेशन खोलने की तिथि/समय – दिनांक-07.06.2017 (03:30 बजे अपराहन में)
(कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि प्राधिकृत के समक्ष)

शर्तें एवं बन्धेज


- (क) कोटेशन के लिए कोई निर्धारित विहित प्रपत्र नहीं है। अतएव कोटेशन सादा कागज पर ही मान्य होगा।
- (ख) कम्पनी/फर्म/एजेन्सी/रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना में निबंधित होना चाहिए तथा आसकर-विभाग का PAN Card धारक होना चाहिए।
- (ग) तकनीकी एवं वित्तीय दर बीड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करनी होगी। तकनीकी बीड लिफाफा के उपर "तकनीकी बीड" लिखा होना चाहिए तथा उसके अंदर निम्न कागजात समर्पित करना अनिवार्य है।
 - (i) वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना के निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।
 - (ii) PAN Card की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।
 - (iii) खादी ग्रामोद्योग संघ/खादी कमीशन/एन0टी0सी0 या उद्योग विभाग द्वारा सूचीबद्धता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

- (iv) दर बीड लिफाफा में सिर्फ दर अंक एवं अक्षर में अंकित करना अनिवार्य है।
- (v) तकनीकी बीड लिफाफा एवं दर बीड लिफाफा को मुहरबंद करने के पश्चात उन्हें एक अलग लिफाफा में बंद कर मुहरबंद करते हुए संयुक्त सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना विश्वेश्वरैया भवन, पटना-15 के पते पर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट/अथवा कार्यालय में प्राप्त कराना होगा। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे जाने वाले लिफाफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) कोटेशन के साथ ग्रीष्मकालीन वर्दी हेतु कपड़ा/साड़ी चप्पल का नमूना संलग्न करना होगा। साथ ही कपड़े का दर एवं सिलाई के चाजं का अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
- (vii) वर्दी के आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (viii) किसी भी कोटेशन को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।


(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक सं0-8Aवि01-117/2017-538 /पटना, दिनांक-30/5/17
प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर/प्रशाखा-8A, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि उक्त सूचना को सूचना पट्ट पर चिपका दें।


(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
लिम
30/5/17